अधिसूचना दिनांक : 20.2.2009

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

चतुर्थ एवं पंचम तल, ''मेट्रो प्लाजा'' बिट्टन मार्केट, ई–5, अरेरा कॉलोनी,
भोपाल – 462 016

भोपाल : दिनांक : 31 जनवरी, 2009

क्रमांक–254–मप्रविनिआ/2009. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 सहपठित धारा 86 की उपधारा (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा कैप्टिव विद्युत संयंत्रों की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के दोहन किये जाने तथा प्रणाली में शीर्ष समय में विद्युत कमी को घटाने हेतु दिनांक 29 सितम्बर, 2006 को अधिसूचित मप्रविनिआ (पारम्परिक ईंधन आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के विद्युत क्रय तथा अन्य विषयों से संबंधित) विनियम, 2006 को पुनरीक्षित करता है ।

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारम्परिक ईंधन आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के विद्युत क्रय तथा अन्य विषयों से संबंधित) विनियम, (पुनरीक्षण प्रथम) 2009 {आर जी–30 (I), वर्ष 2009}

प्रस्तावना

जबकि आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारम्परिक ईंधन आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के विद्युत क्रय तथा अन्य विषयों से संबंधित) विनियम, 2006 (जी–30, वर्ष 2006) दिनांक 29 सितम्बर, 2006 को अधिसूचित किया गया था तथा यह जबकि भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 6 जनवरी, 2006 को अधिसूचित टैरिफ नीति के अनुसार रेखाबद्ध किये जाने हेतु इन विनियमों में कतिपय परिवर्तन किये जाने आवश्यक हो गये हैं, अतएव इन विनियमों को अधिनियमित किया जा रहा है।

अध्याय एक : प्रारंभिक

संक्षिप्त शीर्षक, प्रारम्भ तथा व्याख्या : 1.1 ये विनियम **''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारम्परिक ईंधन आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के विद्युत क्रय तथा अन्य विषयों से संबंधित) विनियम, (पुनरीक्षण प्रथम) 2009} {आरजी–30(I), वर्ष 2009}** कहलायेंगे ।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे ।

1.3 इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा ।

परिभाषाएं :

1.4 जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में –

(ए) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003);

(बी) ''प्राधिकरण (Authority)'' से अभिप्रेत है केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण जैसा कि इसे अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (1) में उल्लिखित किया है;

(सी) ''बिलिंग चक्र (Billig cycle)'' से अभिप्रेत है बिलिंग के प्रयोजन से दो क्रमवर्ती (Consecutive) मापयंत्र वाचन के मध्य कालावधि;

(डी) ''कैप्टिव विद्युत संयंत्र (Captive Power Plant)'' का अर्थ वही होगा जैसा कि इसके शब्दों को इन विनियमों की कण्डिका 1.5 में इसे परिभाषित किया गया है;

(ई) ''कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक (CPP Holder)'' से अभिप्रेत है एक व्यक्ति, कम्पनी अथवा एक निगमित निकाय जो कि कैप्टिव विद्युत संयंत्र का स्वामी हो;

(एफ) ''कैप्टिव प्रयोक्ता (Captive user)'' का अर्थ वही होगा जैसा कि इसके शब्दों को इन विनियमों की कण्डिका 1.5 में इसे परिभाषित किया गया है;

(जी) ''आयोग (Commission)'' से अभिप्रेत है,मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (म.प्र.वि.नि.आ.);

(एच) ''पारम्परिक ईंधन (Conventional Fuel)'' से अभिप्रेत है जीवाश्म ईंधन, जैसे कि कोयला (Coal), लिग्नाईट, आदि;

(आई) ''दिवस'' से अभिप्रेत है 00.00 बजे से प्रारम्भ होकर 24.00 बजे तक समाप्त होने वाली कालावधि;

(जे) '''स्थाई विद्युत (Firm power)'' से अभिप्रेत है एक अनुज्ञप्तिधारी तथा कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक के मध्य निष्पादित विद्युत क्रय अनुबंध (Power Purchase Agreement-PPA) जिसके अन्तर्गत कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक द्वारा अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत प्रदाय की मात्रा हेतु सहमति व्यक्त की गई है । सहमत की गई क्षमता से 15 प्रतिशत का धनात्मक अथवा ऋणात्मक अन्तर को स्थाई विद्युत माना जावेगा;

(के) ''स्थाई ऊर्जा (Firm Energy)'' स्थाई विद्युत से संबंद्ध होगी;

(एल) ''अस्थाई विद्युत (In-firm power)'' से अभिप्रेत है एक कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा जो उपरोक्त परिभाषित स्थाई विद्युत की मात्रा से 85 प्रतिशत कम है अथवा 115 प्रतिशत से अधिक है;

(एम) ''अस्थाई ऊर्जा (In-firm Energy)'' अस्थाई विद्युत से संबंद्ध होगी;

(एन) ''अनुज्ञप्तिधारी (Licensee)'' से अभिप्रेत है एक वितरण अनुज्ञप्तिधारी;

(ओ) ''वैकल्पिक अवधि (Stand-by Period)'' से अभिप्रेत है किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत प्रक्रियानुसार वैकल्पिक समर्थन हेतु अवधि की गणना;

(पी) ''वैकल्पिक समर्थन (Stand-by Support)'' से अभिप्रेत है कैप्टिव विद्युत संयंत्र प्रयोक्ता तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मध्य उसके प्रदाय क्षेत्र में कैप्टिव विद्युत संयंत्र के

नियोजित अथवा विवशताजनक अवरोध (फोर्सड आऊटेज) के संबंध में की गई एक संविदा व्यवस्था;

(क्यू) ''राज्य पारेषण इकाई (State Transmission utility)'' से अभिप्रेत है एक अनुज्ञप्तिधारी अथवा शासकीय कम्पनी जिसे राज्य शासन द्वारा अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अन्तर्गत तद्नुसार विनिर्दिष्ट किया गया है;

(आर) ''प्रयोक्ता (User)'' से अभिप्रेत है कैप्टिव विद्युत का प्रयोक्ता;

(एस) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्तियां जो यहां परिभाषित नहीं है वही अर्थ रखेंगी जैसा कि इन्हें अधिनियम में दर्शाया गया है, तथा इनकी अनुपस्थिति में, वही अर्थ रखेंगी जैसी कि इन्हें विद्युत प्रदाय उद्योग में सामान्य रूप से समझा जाता हो ।

कैप्टिव विद्युत संयंत्र की परिभाषा, स्वयं द्वारा उपभोग बनाम विक्रय के मिश्रण के संबंध में

1.5 किसी विद्युत संयंत्र को कैप्टिव विद्युत संयंत्र के रूप में उसी दशा में अभिज्ञापित किया जावेगा जबकि वह भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 8 जून, 2005 को अधिसूचित विद्युत नियम, 2005 के अनुच्छेद 3 (1) (ए) तथा 3 (1) (बी) में वर्णित शर्तों, जिन्हें कि सुलभ संदर्भ हेतु आगे उद्धरित किया गया है कि तुष्टि करता हो :

(1) कोई भी विद्युत संयंत्र अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (8) के साथ पठित धारा 9 के अधीन तब तक ''कैप्टिव उत्पादक संयंत्र'' के रूप में अर्हक नहीं होगा –

(क) विद्युत संयंत्र के मामलें में –

(i) स्वामित्व का कम–से–कम छब्बीस प्रतिशत कैप्टिव प्रयोक्ता (प्रयोक्ताओं) द्वारा धारित है, और

(ii) वार्षिक आधार पर निर्धारित ऐसे संयंत्र में उत्पादित कुल विद्युत के कम–से–कम इक्यावन प्रतिशत की खपत कैप्टिव प्रयोग के लिये की जाती है :

बशर्ते कि पंजीकृत सहकारी सोसायटी द्वारा स्थापित विद्युत संयंत्र के मामले में ऊपर पैराग्राफ (i) और (ii) के अधीन उल्लिखित शर्तों की पूर्ति सहकारी सोसायटी के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से की जाएगी :

आगे बशर्ते कि व्यक्तियों के संघ के मामले में, कैप्टिव प्रयोक्ता (प्रयोक्तागण) संयंत्र में कुल कम–से–कम छब्बीस प्रतिशत का स्वामित्व धारित करेंगे और ऐसे कैप्टिव प्रयोक्ता (प्रयोक्तागण) दस प्रतिशत की भिन्नता के भीतर विद्युत संयंत्र के स्वामित्व में अपने हिस्से के समानुपात में वार्षिक आधार पर निर्धारित उत्पादित विद्युत के कम–से–कम इक्यावन प्रतिशत की खपत करेंगे;

(ख) ऐसे उत्पादक स्टेशन के मामले में जिसका स्वामित्व ऐसे उत्पादक स्टेशन के लिये विशेष प्रयोजन साधन के रूप में गठित कंपनी द्वारा किया जाता है, कैप्टिव प्रयोग के लिये अभिज्ञात ऐसे उत्पादक स्टेशन की यूनिट अथवा यूनिटें निम्नलिखित सहित ऊपर उप–खंड (क) के पैराग्राफ (i) और (ii) में विहित शर्तें पूरी करती हैं न कि संपूर्ण उत्पादक स्टेशन ।

स्पष्टीकरण :–

(1) कैप्टिव प्रयोक्ताओं द्वारा खपत की जाने वाली अपेक्षित विद्युत का निर्धारण कैप्टिव प्रयोग के लिये अभिज्ञात उत्पादक यूनिट अथवा यूनिटों द्वारा कुल खपत के संदर्भ में किया जाएगा न कि संपूर्ण उत्पादक स्टेशन के संदर्भ में; और

(2) उत्पादक स्टेशन में कैप्टिव प्रयोक्ता (प्रयोक्ताओं) द्वारा धारित इक्विटी शेयर कैप्टिव उत्पादक संयंत्र के रूप में अभिज्ञात उत्पादक यूनिट अथवा यूनिटों से संबंद्ध कंपनी की इक्विटी के समानुपात का छब्बीस प्रतिशत से कम नहीं होगा ।

1.6 यदि किसी वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत, उपरोक्त उल्लेखित विद्युत नियम, 2005 की शर्तों की तुष्टि नहीं की जाती हो तो ऐसी दशा में विद्युत नियम, 2005 (उपरोक्तानुसार उद्धरित) के अनुच्छेद 3 (2) के अनुसार, वर्ष के दौरान सम्पूर्ण विद्युत मात्रा (कैप्टिव विद्युत संयंत्र द्वारा उत्पादित की गई) कैप्टिव प्रयोक्ताओं द्वारा की गई खपत को इस प्रकार मान्य किया जावेगा जैसी कि वह उत्पादन कंपनी द्वारा विद्युत प्रदाय की गई है तथा वह खुली पहुंच उपभोक्ता से समस्त प्रभारों सहित वसूली की जाने योग्य होगी । ऐसी किसी परिस्थिति में, कैप्टिव प्रयोक्ता को आयोग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार होगा यदि वह वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किये गये दावे से संतुष्ट न होवे ।

3 (2) यह सुनिश्चित करना कैप्टिव प्रयोक्ताओं का दायित्व होगा कि ऊपर उप–नियम (1) के उप–खण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित प्रतिशतता पर कैप्टिव प्रयोक्ताओं द्वारा खपत बनाई रखी जाती है और अगर किसी भी वर्ष में कैप्टिव प्रयोग की न्यूनतम प्रतिशतता का पालन नहीं किया जाता है तो उत्पादित संपूर्ण विद्युत को ऐसा माना जाएगा मानों यह किसी उत्पादक कंपनी द्वारा विद्युत की आपूर्ति है ।

स्पष्टीकरण :– *(1) इस नियम के प्रयोजनार्थ –*

*(क) **"वार्षिक आधार"** किसी वित्तीय वर्ष के आधार पर निर्धारित किया जावेगा;*

(ख) *"**कैप्टिव उपयोगकर्ता**" का अर्थ किसी कैप्टिव उत्पादक संयंत्र में उत्पादित विद्युत का अंत प्रयोक्ता होगा और "कैप्टिव प्रयोक्ता" शब्द का तद्नुसार अर्थ माना जाएगा ;*

(ग) *किसी उत्पादक स्टेशन अथवा किसी कंपनी या किसी अन्य निगमित निकाय द्वारा स्थापित विद्युत संयंत्र के संबंध में **"स्वामित्व"** का अर्थ मताधिकार के साथ इक्विटी शेयर पूंजी होगा । अन्य मामलों में स्वामित्व का अर्थ उत्पादक स्टेशन अथवा विद्युत संयंत्र पर मालिकाना हित और नियंत्रण होगा;*

(घ) *"**विशेष प्रयोजन साधन**" का अर्थ किसी उत्पादक स्टेशन का स्वामित्व रखने, प्रचालित करने और अनुरक्षण करने वाला कानूनी संगठन होगा और इस कानूनी संगठन द्वारा कोई अन्य व्यवसाय अथवा कार्यकलाप नहीं किया जाएगा ।*

अध्याय – दो

ग्रिड से अर्न्तसंयोजन होने की दशा में सामान्य तथा तकनीकी शर्तें

2.1 कैप्टिव विद्युत संयंत्र तथा समर्पित पारेषण/वितरण लाईनों व उपकेन्द्रों की स्थापना, प्रचालन तथा संधारण, प्राधिकरण अथवा राज्य पारेषण इकाई अथवा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट तकनीकी, सुरक्षा तथा ग्रिड मानकों के अनुसार किया जावेगा ।

2.2 अधिनियम की धारा 9 के उपबंध के अनुसार, किसी कैप्टिव विद्युत संयंत्र का ग्रिड के माध्यम से विद्युत प्रदाय का नियंत्रण उसी प्रकार किया जावेगा जैसा कि वह किसी उत्पादन कंपनी के उत्पादन स्टेशन द्वारा किया जाता हो । इस प्रयोजन से, 132 केवी के कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक को राज्य भार प्रेषण केन्द्र (स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर –एसएलडीसी) द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का परिपालन किया जाना अनिवार्य होगा जो कि राज्य में विद्युत प्रणाली के प्रचालन में एकीकृत ग्रिड प्रचालन के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण सुनिश्चित किये जाने बाबत् तथा अधिकतम सुरक्षा, मितव्ययिता तथा दक्षता उपलब्ध कराये जाने हेतु अत्यावश्यक हो । इसी प्रकार, 33/11 केवी विद्युत प्रदाय हेतु, कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक द्वारा वांछित पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के संव्यवहार हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी नियंत्रण केन्द्र (Distribution Licensee's Control Centre - DLCC) द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन करना होगा ।

बशर्ते यह कि यदि विद्युत की गुणवत्ता अथवा राज्य ग्रिड के संरक्षित, सुरक्षित तथा एकीकृत प्रचालन अथवा राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी निर्देशों के संदर्भ में कोई विवाद उत्पन्न हो तो इसे आयोग को निर्णय हेतु निर्दिष्ट किया जावेगा । तथापि, आयोग

के निर्णय की प्रत्याशा में, कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक को राज्य भार प्रेषण केन्द्र/वितरण अनुज्ञप्तिधारी नियंत्रण केन्द्र द्वारा जारी निर्देशों का परिपालन, जैसा कि प्रकरण में लागू हो, करना होगा ।

2.3 ग्रिड के साथ संयोजित कैप्टिव विद्युत संयंत्र, मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता, भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता अथवा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये विनियमों, जैसा कि इन्हें समय–समय पर संशोधित किया गया हो, का अनुपालन सुनिश्चित करेगा । अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ग्रिड के साथ संयोजीकरण केवल उसी दशा में किया जावेगा जबकि कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ग्रिड के साथ संयोजन के संबंध में विनिर्दिष्ट समस्त औपचारिकताओं के साथ–साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्य विद्युत निरीक्षक, आदि से समस्त सांविधिक प्रमाणीकरणों की कार्यवाही पूर्ण कर ली जावे । कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक द्वारा ग्रिड से संयोजीकरण के दौरान सम्पूर्ण अवधि में इस प्रकार प्राप्त किये गये सांविधिक प्रमाणीकरणों को बनाये रखा जावेगा । 132 केवी/132 केवी से कम के विद्युत प्रदाय स्तर हेतु समन्वयन प्राधिकारी क्रमशः पारेषण कम्पनी तथा संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी होंगे ।

2.4 इन विनियमों के अन्तर्गत आने वाले समस्त कैप्टिव विद्युत संयंत्रों हेतु, कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक को इन विनियमों में विनिर्दिष्ट किये गये समस्त प्रभारों तथा आयोग द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किये गये अन्य प्रभारों का भुगतान करना होगा ।

2.5 कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक द्वारा, उत्पादन तथा पारेषण संबंधी समस्त तकनीकी विवरण संबंधित अनुज्ञप्तिधारी को, जैसा कि इन्हें प्राधिकरण अथवा आयोग द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जावे, प्रस्तुत किया जावेगा ।

2.6 कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक, उत्पादन संयंत्र से संयोजित किये जाने बाबत् पारेषण/वितरण अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क (यदि ये पूर्व से विद्यमान नहीं हैं) हेतु, जैसा कि ये लागू हो, अधोसंरचना प्रदान करेगा । यदि कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक को उसके कैप्टिव विद्युत संयंत्र से उसके नेटवर्क से संयोजित किये जाने हेतु पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/वितरण अनुज्ञप्तिधारी से अधोसंरचना का निर्माण कराया जाना आवश्यक हो तो इस प्रयोजन हेतु कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक को अर्न्तसंयोजन उपकरण तथा संबंद्ध सुविधाएं, उन्हें सम्मिलित कर जो नेटवर्क की सुरक्षा तथा मापयंत्रण (मीटरिंग) हेतु अत्यावश्यक हों, की लागत वहन करना होगी ।

2.7 इस प्रयोजन हेतु, कैप्टिव विद्युत संयंत्र से संबद्ध अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क से समकालन (सिंक्रोनाइजेशन) की योजना संबंधित पारेषण/वितरण अनुज्ञप्तिधारी के पदाभिहित अधिकारी द्वारा अनुमोदित की जावेगी ।

अध्याय – तीन

एक वितरण अनुज्ञप्तिधारी को कैप्टिव विद्युत संयंत्र से उत्पादित विद्युत की विद्युत संयंत्र से उत्पादित विद्युत की विक्रय शर्तें

3.1 कोई भी कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उक्त प्रदाय क्षेत्र में जहां कि कैप्टिव विद्युत संयंत्र स्थित है, आधिक्य (Surplus) विद्युत विक्रय हेतु अधिकृत होगा ।

3.2 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक से विद्युत क्रय की अधिकतम दर वह होगी जैसा कि इस आयोग द्वारा समय–समय पर जारी उसके टैरिफ आदेश द्वारा अवधारित किया जावेगा । तथापि, संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी के पास किसी कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक से इस संबंध में प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया द्वारा भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये दिशा–निर्देशानुसार लघु–कालीन (short-term)/दीर्घ–कालीन (long-term) विद्युत उपाप्ति का विकल्प विद्यमान होगा परन्तु यह दर आयोग द्वारा अवधारित दरों से अधिक न होगी । ऐसी परिस्थिति में, आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया द्वारा निर्णित दर अपनाई जावेगी । ऐसे समस्त प्रकरणों में, मध्यप्रदेश पावर ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी की ओर से अनुबंध का निष्पादन किया जावेगा ।

3.3 मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 3 जून, 2006 तथा अधिसूचना दिनांक 14 मार्च, 2007 द्वारा तीन विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के मध्य विद्युत के आवंटन को दृष्टिगत रखते हुए, जिसके अन्तर्गत मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड को विद्युत वितरण कम्पनियों की ओर से विद्युत की अध्याप्ति हेतु प्रतिनिधि संस्था (Nodal Agency) बनाया गया है, इन विनियमों की प्रयोज्यता को मध्यप्रदेश पावर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड हेतु भी विस्तारित किया जाता है ।

3.4 कोई भी कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक जिसके पास निर्यात–योग्य विद्युत का आधिक्य हो तथा किसी अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी आधिक्य विद्युत के विक्रय का इच्छुक हो, उसे ऐसे अनुज्ञप्तिधारी के साथ विद्युत क्रय अनुबंध निष्पादित करना होगा । अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एक मानक विद्युत क्रय अनुबंध (पीपीए) तैयार किया जावेगा तथा उसके द्वारा इसे आयोग के अनुमोदनार्थ कैप्टिव पावर संयंत्र धारक द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हेतु इन विनियमों की अधिसूचना तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जावेगा ।

3.5 उन कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारकों हेतु जिनके द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के साथ विद्युत क्रय अनुबंध निष्पादित किया गया है, 15–मिनट के समय–खण्ड हेतु, विद्युत क्रय अनुबंध में घोषित स्थाई

विद्युत के बराबर ऊर्जा की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जावेगी :

$$D*1000$$

$$FE = \frac{D}{4}$$

जहां कि,

FE = स्थाई ऊर्जा (किलोवाट ऑवर में)

D = स्थाई विद्युत (मेगावाट में)

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कैप्टिव विद्युत संयंत्र से उत्पादित स्थाई (firm power) तथा अस्थाई विद्युत (In-firm power) की क्रय दरें :

3.6 स्थाई विद्युत की क्रय दर को सामान्य समय (Normal Time) (06.00 बजे से 18.00 बजे के मध्य), शीर्ष समय (Peak Time) (18.00 बजे से 22.00 बजे के मध्य) तथा शीर्ष–बाह्य समय (Off-Peak Time) (22.00 बजे से आगामी दिवस के 06.00 बजे के मध्य) विभेदित किया जावेगा ।

3.7 किसी कैप्टिव विद्युत संयंत्र के धारक हेतु जिसका एक अनुज्ञप्तिधारी के साथ विद्युत क्रय अनुबंध है, सामान्य अवधि के दौरान स्थाई विद्युत क्रय हेतु विद्युत क्रय दर आयोग द्वारा प्रश्नाधीन वित्तीय वर्ष हेतु आयोग द्वारा उसके टैरिफ आदेश के अन्तर्गत अनुमोदित दर के अनुरूप होगी । शीर्ष–समय तथा शीर्ष–बाह्य समय हेतु स्थाई विद्युत की क्रय दरें सामान्य समय की दरों का क्रमशः 110 प्रतिशत तथा 90 प्रतिशत होंगी ।

3.8 अस्थाई विद्युत की दरें स्थाई विद्युत की तत्संबंधी समय–अवधियों हेतु निर्धारित दर का 85 प्रतिशत होगी ।

3.9 प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा का मापन वितरण अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा कैप्टिव विद्युत संयंत्र के अर्न्तमुख बिन्दु (इन्टरफेस पाईंट) पर यथास्थिति लागू किया जावेगा । समकालन विच्छेदक (सिंक्रोनाईजिंग ब्रेकर) के सी.टी. (करन्ट ट्रांसफार्मर) को, इस प्रयोजन हेतु, वाणिज्यिक अर्न्तमुख माना जावेगा ।

अनुसूचीकरण, सन्तुलन तथा व्यवस्थापन (Scheduling, Balancing and settlement)

3.10 कैप्टिव विद्युत संयंत्रों द्वारा स्थाई विद्युत हेतु अन्तःक्षेपण अनुसूचियां (Injection Sehedules), मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता दिनांक 24 अक्टूबर, 2005 तथा उसमें किये गये अनुवर्ती संशोधनों के अनुसार प्रदान करनी होंगी ।

बशर्ते शीर्ष–समय हेतु स्थाई विद्युत अन्तःक्षेपण अनुसूची उक्त दिवस हेतु सामान्य/शीर्ष बाह्य हेतु अन्तःक्षेपण अनुसूची से कम न होगी ।

ऐसे कैप्टिव विद्युत संयंत्र अनुसूचीकरण और संतुलन तथा व्यवस्थापन संहिता (Scheduling & Balancing and Settlement Code) के समुचित उपबंधों के अनुसार, इनके अधिसूचित होने पर, आबद्ध होंगे ।

<u>वे कैप्टिव विद्युत संयंत्र जो अस्थाई विद्युत (In-firm power) अन्तःक्षेप कर रही हों, उन्हें अन्तःक्षेप अनुसूची प्रदान किया जाना आवश्यक नहीं है ।</u>

3.11 किसी भी प्रकार का माना गया विद्युत उत्पादन अनुज्ञेय नहीं किया जावेगा । स्थाई तथा अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु समस्त भुगतान निम्न दर्शाई गई विधि द्वारा की गई गणना के अनुसार किये जावेंगे :

(अ) चरण–1 : प्रत्येक 15–मिनट के समय–खण्ड हेतु आयात/निर्यात ऊर्जा मापयंत्र जिसे कैप्टिव विद्युत संयंत्र तथा अनुज्ञप्तिधारी के अन्तर्मुख बिन्दु पर संस्थापित किया जावेगा, द्वारा अभिलिखित किया जावेगा ।

(ब) चरण–2 : किसी बिलिंग चक्र के अन्त में, अन्तर्मुख मापयंत्रों से डाऊनलोड किये गये आंकड़े स्थाई तथा अस्थाई ऊर्जा की गणना हेतु प्रयोग किये जावेंगे । अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदान की गई वास्तविक ऊर्जा की मात्रा का अवधारण, कुल शुद्ध निर्यात की गई विद्युत, जैसा कि इसे कैप्टिव विद्युत संयंत्र परिसर में अभिलिखित किया गया है, में से किसी तृतीय पक्ष के अंशदान तथा उसके स्वयं के उपभोक्ताओं को आवंटित ऊर्जा की मात्रा यदि कोई विद्यमान हो, को घटा कर किया जावेगा ।

(स) चरण–3 : स्थाई तथा अस्थाई ऊर्जा हेतु भुगतान का व्यवस्थापन : 15–मिनट के प्रत्येक समय–खण्ड हेतु, कथित ऊर्जा मापयंत्र जो विद्युत का वास्तविक निर्यात/आयात होना प्रदर्शित करता है, की प्रत्येक तत्संबंधी 15–मिनट के समय–खण्ड की अन्तःक्षेप अनुसूची से तुलना की जावेगी तथा इसका भुगतान निम्न आधार पर किया जावेगा :

''यदि वास्तविक ऊर्जा की मात्रा स्थाई ऊर्जा के बराबर अथवा इससे अधिक है तो ऐसी दशा में, सम्पूर्ण वास्तविक ऊर्जा की मात्रा का भुगतान स्थाई ऊर्जा की समकक्ष दर के अनुसार विशिष्ट समयावधि हेतु किया जावेगा । यदि वास्तविक ऊर्जा की मात्रा अनुसूचित ऊर्जा की मात्रा से कम पाई जाती है तो ऐसी दशा में सम्पूर्ण वास्तविक ऊर्जा की मात्रा को अस्थाई ऊर्जा माना जावेगा तथा इसका भुगतान प्रयोज्य दर के अनुसार किया जावेगा ।

3.12 जहां विद्युत को अन्तःक्षेप किया जाता हो, वहां आयोग संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तुत देयक की तिथि से 30 दिवस की अवधि इसके व्यवस्थापन हेतु विनिर्दिष्ट करता है । देयकों को संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तुत किया जावेगा, जो इन देयकों का सत्यापन करेगा तथा इन देयकों की प्राप्ति दिनांक से सात दिवस के भीतर इन्हें एमपी पावर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड को विकासकर्ता को भुगतान किये जाने हेतु प्रेषित करेगा । देयकों के भुगतान में विलम्ब होने की दशा में, मप्र पावर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड को बकाया राशि पर 1 प्रतिशत प्रतिमाह अथवा उसके किसी अंश की दर से दाण्डिक ब्याज का भुगतान करना होगा । यदि मप्र पावर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड देयक प्रस्तुति की तिथि से 15 दिवस के भीतर भुगतान करती है, तो ऐसी दशा में

कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक द्वारा बिल की गई देयक राशि पर उसे 1 प्रतिशत की छूट अनुज्ञेय की जावेगी ।

अध्याय – चार :

अन्य विषय

वैकल्पिक समर्थन (Stand-by support)

4.1 वैकल्पिक समर्थन निम्न प्रकार के कैप्टिव प्रयोक्ताओं (जिन्हें इसके बाद, ''प्रयोक्ता(गण)/प्रयोक्तायों कहा गया है) जिनकी न्यूनतम क्षमता एक मेगावाट है, हेतु प्रदान किया जावेगाः

(अ) कैप्टिव विद्युत संयंत्र तथा प्रयोक्ता(गण) एक ही परिसर में स्थित हैं तथा कैप्टिव विद्युत संयंत्र ग्रिड से संयोजित नहीं है (क्योंकि इसे पृथक्कृत इकाई के रूप में प्रचालित किया गया है) अतएव प्रयोक्ता वितरण अनुज्ञप्तिधारी का उपभोक्ता नहीं है;

(ब) कैप्टिव विद्युत संयंत्र तथा प्रयोक्ता(गण) एक ही परिसर में स्थित हैं तथा कैप्टिव विद्युत संयंत्र ग्रिड से संयोजित है परन्तु प्रयोक्ता के पास अनुज्ञप्तिधारी के उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय क्षेत्र के अलावा कोई अन्य विद्युत प्रदाय का बाह्य स्त्रोत नहीं है; तथा

(स) कैप्टिव विद्युत संयंत्र तथा प्रयोक्ता भिन्न परिसरों में स्थित हैं । इसके अतिरिक्त, प्रयोक्ता केवल अनुज्ञप्तिधारी से अतिरिक्त विद्युत की मात्रा प्राप्त कर रहा है तथा उसके पास, इसके अतिरिक्त अन्य कोई विद्युत प्रदाय व्यवस्थाएं विद्यमान नहीं हैं ।

4.2 वैकल्पिक समर्थन ऐसे किसी उपभोक्ता को अनुज्ञेय नहीं किया जावेगा, जिसके पास अनुज्ञप्तिधारी के अलावा उसके विद्युत प्रदाय क्षेत्र में तथा उसके स्वयं के कैप्टिव विद्युत उत्पादन से विद्युत प्राप्ति की अन्य कोई व्यवस्था विद्यमान है ।

4.3 निम्न तालिका कैप्टिव विद्युत संयंत्रों तथा उसके प्रयोक्ताओं हेतु भार प्रत्येक परिस्थिति में वैकल्पिक समर्थन की प्रयोज्यता के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के संव्यवहारों को दर्शाती है :

भाग	कैप्टिव विद्युत संयंत्र प्रकार/स्थिति	कैप्टिव प्रयोक्ता द्वारा अतिरिक्त विद्युत प्रदाय की प्राप्ति व्यवस्था	वैकल्पिक समर्थन
ए	पृथक्कृत कैप्टिव विद्युत संयंत्र (ग्रिड हेतु भौतिक संयोजन प्रदान किया गया हो, बशर्ते संयंत्र धारक वैकल्पिक समर्थन हेतु अनुरोध करे)	कोई अन्य व्यवस्था नहीं है	स्वीकार्य है
बी	कैप्टिव विद्युत संयंत्र तथा प्रयोक्ता एक ही परिसर में स्थित है तथा	केवल अनुज्ञप्तिधारी से	स्वीकार्य है

	ग्रिड से संयोजित है		
सी	जहां कैप्टिव विद्युत संयंत्र परिसर 'अ' में स्थापित है, जबकि प्रयोक्ता परिसर 'ब' में स्थित है	केवल अनुज्ञप्तिधारी से	म.प्र. राज्य में संतुलन तथा व्यवस्थापना संहिता की शर्तों के अधीन स्वीकार्य होगा
डी	कैप्टिव विद्युत संयंत्र तथा प्रयोक्ता एक ही परिसर में स्थित है तथा ग्रिड से संयोजित है	अनुज्ञप्तिधारी से तथा अन्य स्त्रोंतों से भी	स्वीकार्य नहीं है
ई	जहां कैप्टिव विद्युत संयंत्र परिसर 'अ' में स्थापित है जबकि प्रयोक्ता परिसर 'ब' में स्थित है	अनुज्ञप्तिधारी से तथा अन्य स्त्रोंतों से भी	स्वीकार्य नहीं है

4.4 ऐसा प्रयोक्ता जिसे उपरोक्त तालिका के अनुसार वैकल्पिक समर्थन अनुज्ञेय किया जाता है, वह वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उसके विद्युत प्रदाय क्षेत्र हेतु वैकल्पिक समर्थन हेतु अनुरोध कर सकेगा तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रयोक्ता हेतु ऐसा समर्थन प्रदान करने हेतु बाध्य होगा ।

4.5 इन विनियमों को अधिसूचित किये जाने की तिथि की स्थिति में विद्यमान प्रयोक्ताओं को, जो वैकल्पिक समर्थन के इच्छुक हों, इन विनियमों की अधिसूचना तिथि से 30 दिवस के भीतर इन विनियमों के अन्तर्गत अधिसूचना तिथि से लागू नियमों के परिपालन हेतु एक अनुपूरक अनुबंध निष्पादित करना होगा । वैकल्पिक समर्थन प्राप्ति के इच्छुक भावी प्रयोक्तागण इस संबंध में अपनी सहमति संयोजन/खुली पहुंच के आवेदन के समय अभिव्यक्त करेंगे ।

4.6 वैकल्पिक समर्थन के प्रयोजन हेतु, ऐसे प्रयोक्ता तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा मप्र पावर ट्रेडिंग कम्पनी वितरण अनुज्ञप्तिधारी की ओर से ऐसे समर्थन बाबत्, पक्षकार एक अनुबंध का निष्पादन करेंगे । वितरण अनुज्ञप्तिधारी/मप्र पावर ट्रेडिंग कम्पनी, जैसा कि प्रकरण में लागू हो इन विनियमों की अधिसूचना तिथि से एक (1) माह के भीतर एक निदर्शन (मॉडल) अनुबंध तैयार करेंगे तथा इस हेतु आयोग का अनुमोदन प्राप्त करेंगे ।

4.7 प्रयोक्ता सामान्यतः संविदाकृत वैकल्पिक समर्थन मांग से अधिक वैकल्पिक समर्थन मांग का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेगा ।

4.8 विनियमों की निम्नलिखित धारायें, उपरोक्त तालिका में प्रत्येक ''भाग'' अथवा संव्यवहार प्रकार के प्रयोजन से अनुज्ञप्तिधारी से स्वीकार किये गये वैकल्पिक समर्थन की सुविधा की (अर्थात् भाग 'ए', 'बी', 'सी') शर्तों का विवरण दर्शाती हैं ।

भाग – अ :

वैकल्पिक समर्थन की प्राप्ति हेतु शर्तें

4.9 ऐसे प्रयोक्ताओं को, यदि उन्हें वैकल्पिक समर्थन की आवश्यकता हो, उन्हें अपने स्वयं के व्यय पर अर्न्तसंयोजन अधोसंरचना विकसित करनी होगी । प्रयोक्ता छोर पर अन्तर्संयोजित विच्छेदक (Interconnecting Breakar) को मुक्त रखा जावेगा तथा इसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसी दशा में प्रभारित (Charged) किया जावेगा जब प्रयोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को वैकल्पिक समर्थन की आवश्यकता के संबंध में निम्न दर्शाई गई कण्डिका 4.10 के उपबंध के अनुसार लिखित में सूचित किया जावेगा ।

4.10 ऐसे प्रयोक्तागण, वैकल्पिक समर्थन की आवश्यकता के संबंध में उसके प्रदाय क्षेत्र से संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी को लिखित में अनुरोध करेंगे । मुक्त स्थिति में रखे गये अन्तर्संयोजन विच्छेदक से अन्तर्संयोजित तन्तुपथ (लाईन) के साथ प्रभारित स्थिति में संधारित किये जाने का दायित्व वितरण अनुज्ञप्तिधारी का होगा । वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रयोक्ता छोर पर अन्तर्संयोजित विच्छेदक को इसे बन्द किये जाने हेतु अनुरोध प्राप्त होने के दो घंटे की अवधि के भीतर इसे बन्द किये जाने की व्यवस्था करेगा । जब प्रयोक्ता को अनुज्ञप्तिधारी से वैकल्पिक समर्थन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो ऐसी दशा में वह पुनः अनुज्ञप्तिधारी को इस संबंध में लिखित में सूचित करेगा । अनुज्ञप्तिधारी ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर प्रयोक्ता छोर पर दो घंटे की अवधि के भीतर अन्तर्संयोजन विच्छेदक को पुनः प्रारम्भ करेगा ।

4.11 अनुज्ञप्तिधारी को प्रयोक्ता द्वारा किया गया अनुरोध उस वैकल्पिक समर्थन की मांग की मात्रा प्रकट करेगा जो कि प्रयोक्ता कुल वैकल्पिक समर्थन संविदा मांग दैनिक अनुसूचीकरण के प्रयोजन से वितरण अनुज्ञप्तिधारी को मांगपत्र के बतौर प्रस्तुत करना चाहे ।

4.12 बिलिंग के प्रयोजन से, वैकल्पिक समर्थन हेतु कुल अवधि की गणना ऐसे समय से प्रारम्भ होगी जबकि अनुज्ञप्तिधारी प्रयोक्ता परिसर में स्थित अन्तर्संयोजन विच्छेदक को वैकल्पिक समर्थन की उपलब्धता के संबंध में उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में बन्द कर देता है, तथा ऐसे समय पर समाप्त होगी जबकि उपभोक्ता से संसूचना प्राप्ति के अनुसरण में तथा उपरोक्त कण्डिका 4.10 के उपबंधों के अध्यधीन, अन्तर्संयोजन विच्छेदक को प्रयोक्ता के प्रतिनिधि की उपस्थिति में पुनः संयोजन विच्छेद हेतु चालू कर दिया जावे ।

4.13 प्रयोक्ता से प्राप्त अनुरोध को संबंधित वृत्त कार्यालय के अधीक्षण यंत्री अथवा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पदाभिहित किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी को प्रेषित किया जावेगा । इन अनुरोधों के प्रेषण तथा अभिस्वीकृति से संबंधित विस्तृत प्रक्रिया अनुज्ञप्तिधारी तथा प्रयोक्ता द्वारा तैयार की जावेगी तथा इसे वैकल्पिक–समर्थन अनुबंध में अभिकथन किया जावेगा ।

वैकल्पिक समर्थन हेतु प्रभार :

4.14 ऐसे प्रयोक्ताओं के संबंध में, अधिकतम मांग, जिसे वैकल्पिक समर्थन हेतु संविदाकृत किया जा सकता है, कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक की समस्त उत्पादन इकाईयों की कुल निर्धारित क्षमता से अधिक न होगी ।

4.15 जहां कहीं भी वैकल्पिक समर्थन हेतु एक समझौता प्रयोक्ता तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मध्य उसके प्रदाय क्षेत्र के संबंध में विद्यमान हो, प्रयोक्ता द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी से वैकल्पिक समर्थन के रूप में 33 केवी पर संविदाकृत की गई क्षमता (केवीए में) हेतु आवेदित वचनबद्धता प्रभार (Commitment Charges) के रूप में रू. 31 प्रति केवीए प्रतिमाह अथवा उसके कोई अंश की दर से तथा 132 केवी पर संविदाकृत की गई क्षमता (केवीए में) हेतु आवेदित वचनबद्धता प्रभार के रूप में रू. 25 प्रति केवीए प्रतिमाह अथवा उसका कोई अंश की दर से भुगतान करने होंगे ।

बशर्ते यह कि उपरोक्त उल्लिखित प्रभार वैकल्पिक समर्थन की प्रयोज्यता तिथि के प्रारंभ होने से प्रतिमाह समान रूप से लागू होंगे भले ही प्रयोक्ता वैकल्पिक समर्थन का लाभ ले अथवा न ले ।

बशर्ते आगे यह भी कि उपरोक्त वचनबद्धता प्रभार दिनांक 31.3.2012 को समाप्त होने वाली नियंत्रण–अवधि तक प्रयोज्य होंगे तथा इनकी समीक्षा तदोपरांत की जावेगी ।

4.16 वचनबद्धता प्रभारों के अतिरिक्त, प्रयोक्ता को विद्युत की खपत के संबंध में वैकल्पिक समर्थन अवधि के दौरान ऊर्जा प्रभार (Energy Charges) तथा स्थाई प्रभार (Fixed Charges) भी वहन करने होंगे जो कि आयोग द्वारा उसके टैरिफ आदेश में अस्थाई संयोजन के अन्तर्गत तत्संबंधी श्रेणी हेतु समय–समय पर अनुमोदित प्रयोज्य दरों के अनुरूप होंगे ।

4.17 स्थाई प्रभार वैकल्पिक अवधि हेतु अधिकतम मांग पर किसी 15–मिनट के समय–खण्ड हेतु, प्रयोज्य किये जावेंगे जो कि न्यूनतम संविदा मांग के 90 प्रतिशत के अध्यधीन होंगे । इस प्रयोजन हेतु वैकल्पिक अवधि की गणना अधिकतम 30 निरन्तर दिवस हेतु की जावेगी । ऊर्जा प्रभारों को कुल खपत की गई ऊर्जा की मात्रा पर वैकल्पिक समर्थन अवधि के अन्तर्गत समस्त समय–खण्डों हेतु प्रयोज्य किया जावेगा ।

4.18 ऐसे प्रकरण में, जहां कैप्टिव विद्युत संयत्र परिसर में अभिलिखित अधिकतम मांग वैकल्पिक संविदा मांग से अधिक हो, अभिलिखित की गई आधिक्य मांग की बिलिंग को कण्डिका 4.17 अनुसार स्थाई प्रभारों की गणना के दो–गुना दर पर प्रभारित किया जावेगा ।

4.19 प्रयोक्ता द्वारा प्राप्त किया गया वैकल्पिक समर्थन ऊर्जा कारक प्रोत्साहन (Power Factor Incentives) तथा शास्तिओं (Penalties) हेतु, जैसा कि आयोग द्वारा इसे खुदरा विद्युत प्रदाय के उपभोक्ताओं हेतु उसके टैरिफ आदेश में अनुमोदित किया गया हो के अन्तर्गत अधिकृत होगा । तथापि, इस हेतु भार–कारक छूट प्रयोज्य नहीं होगी ।

4.20 ऐसे प्रयोक्ताओं हेतु, वैकल्पिक समर्थन के अन्तर्गत खपत की गई विद्युत मात्रा पर न्यूनतम ऊर्जा प्रभार प्रभारित नहीं किये जावेंगे ।

4.21 यदि किसी प्रयोक्ता द्वारा किसी विशिष्ट माह के दौरान एक से अधिक बार वैकल्पिक समर्थन का लाभ प्राप्त किया जाता है तो ऐसी दशा में स्थाई प्रभारों की बिलिंग केवल प्रथम बार के लिये ही की जावेगी ।

भाग – ब :

वैकल्पिक समर्थन हेतु प्राप्ति की शर्तें :

4.22 एक प्रयोक्ता उसके प्रदाय क्षेत्र के वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उसके स्वयं के वैकल्पिक समर्थन की आवश्यकता के संबंध में दो (2) घंटे पूर्व, जिस हेतु कैप्टिव उपभोक्ता वितरण अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत प्राप्ति का इच्छुक हो, अनुरोध करेगा । प्रयोक्ता वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उसके कैप्टिव विद्युत संयंत्र के बन्द होने की तिथि तथा समय के बारे में सूचित करेगा । जैसे ही प्रयोक्ता का कैप्टिव विद्युत संयंत्र पुनः अपना कार्य आरंभ कर देता है, प्रयोक्ता एक (1) घंटे के भीतर यथोचित यह दर्शाते हुए कि संयंत्र ने किस वास्तविक तिथि तथा समय से अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है वितरण अनुज्ञप्तिधारी को इस बाबत् अधिसूचित करेगा । तथापि, ऐसे प्रकरण में जहां वैकल्पिक विद्युत प्रदाय की प्राप्ति के समय मापयंत्रण व्यवस्था में सुधार किया जाना अपेक्षित हो, प्रयोक्ता द्वारा वैकल्पिक समर्थन हेतु अनुरोध बारह (12) घंटे अग्रिम रूप से करना होगा तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस प्रकार के वैकल्पिक समर्थन की वापसी हेतु ऐसे अनुरोध की प्राप्ति से बारह (12) घंटे के भीतर इसे बन्द करना होगा । वैकल्पिक समर्थन हेतु कुल अवधि की गणना तद्नुसार की जावेगी ।

बशर्ते यह कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी, प्रयोक्ता द्वारा वैकल्पिक समर्थन की प्रदान की गई दोनों, प्रारंभिक तथा समाप्ति की वास्तविक दिनांक तथा समय का, कैप्टिव विद्युत संयंत्र/कैप्टिव प्रयोक्ता के परिसर में मापयंत्र वाचन (मीटर रीडिंग) तथा अन्य अभिलेखों से, जैसा कि वे आवश्यक हों, सत्यापन कर सकेगा ।

4.23 किसी प्रयोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को प्रेषित अनुरोध उसके स्वयं की उस आकस्मिक मांग की मात्रा प्रकट करेगा जो कि उपभोक्ता उसकी कुल वैकल्पिक संविदाकृत मांग के विरूद्ध वितरण अनुज्ञप्तिधारी से दैनिक अनुसूचीकरण के प्रयोजन से मांग किये जाने के प्रति इच्छुक हो ।

4.24 किसी प्रयोक्ता से प्राप्त अनुरोध संबंधित वृत्त कार्यालय के अधीक्षण यंत्री अथवा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पदाभिहित किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी को प्रेषित की जावेगी । इन अनुरोधों के प्रेषण तथा अभिस्वीकृति संबंधी विस्तृत प्रक्रिया अनुज्ञप्तिधारी तथा प्रयोक्ता द्वारा परस्पर तैयार की जावेगी तथा इसका वैकल्पिक समर्थन संविदा में अभिकथन किया जावेगा ।

वैकल्पिक समर्थन हेतु प्रभारों की गणना :

4.25 अधिकतम मांग जिसे कि वैकल्पिक समर्थन के अन्तर्गत संविदाकृत किया जा सकता है, किसी प्रयोक्ता की समस्त कैप्टिव विद्युत संयंत्र प्रयोक्ता की समस्त उत्पादन इकाईयों की कुल निर्धारित क्षमता से अधिक न होगी ।

4.26 जहां कहीं भी वैकल्पिक समर्थन हेतु एक समझौता प्रयोक्ता तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मध्य उसके प्रदाय क्षेत्र के संबंध में विद्यमान हो, प्रयोक्ता द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को इन विनियमों की कण्डिका 4.15 तथा 4.16 के अनुसार भुगतान करना होगा ।

4.27 वैकल्पिक प्रभारों हेतु बिलिंग टैरिफ आदेश दिनांक 29.3.2008 की कण्डिका 1.18 (जी) में विनिर्दिष्टानुसार विधि द्वारा की जावेगी ।

4.28 अन्य निबंधन तथा शर्तें इन विनियमों की कण्डिका 4.17 से 4.21 में निर्दिष्टानुसार होगी ।

भाग – स :

वैकल्पिक समर्थन की प्राप्ति हेतु शर्तें :

4.29 ऐसे प्रयोक्ताओं हेतु वैकल्पिक समर्थन हेतु सुविधा, संतुलन तथा व्यवस्थापन संहिता के अन्तर्गत निबंधन तथा शर्तें जिन्हें कि आयोग द्वारा अधिसूचित किया जावेगा, के अध्यधीन होगी ।

वैकल्पिक समर्थन हेतु प्रभार :

4.30 अधिकतम मांग जिसे कि वैकल्पिक समर्थन के अन्तर्गत संविदाकृत किया जा सकता है, किसी प्रयोक्ता की समस्त कैप्टिव विद्युत संयंत्र प्रयोक्ता की समस्त उत्पादन इकाईयों की कुल निर्धारित क्षमता से अधिक नहीं हो सकती ।

4.31 जहां कहीं भी वैकल्पिक समर्थन हेतु एक समझौता प्रयोक्ता तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मध्य उसके प्रदाय क्षेत्र के संबंध में विद्यमान हो, प्रयोक्ता द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को इन विनियमों की कण्डिका 4.15 तथा 4.16 के अनुसार भुगतान करना होगा ।

4.32 वैकल्पिक प्रभारों हेतु बिलिंग टैरिफ आदेश दिनांक 29.3.2008 की कण्डिका 1.18 (जी) में विनिर्दिष्टानुसार विधि द्वारा की जावेगी ।

4.33 अन्य निबंधन तथा शर्तें इन विनियमों की कण्डिका 4.17 से 4.21 में निर्दिष्टानुसार होगी ।

विविध प्रावधान : (समस्त भागों को लागू)

मापयंत्रण (मीटरिंग), मापयंत्र वाचन (मीटर रीडिंग) तथा विद्युत देयक तैयार करने संबंधी विधि :

4.34 कैप्टिव विद्युत संयंत्र के धारक/कैप्टिव प्रयोक्तागण जो कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उसके प्रदाय क्षेत्र में विद्युत विक्रय अथवा अनुज्ञप्तिधारी से वैकल्पिक समर्थन चाहें, उन्हें उनके परिसर में मुख्य

तथा जांच आयात/निर्यात उपलब्धता आधारित टैरिफ अनुवर्तक मापयंत्र (check import/export ABT compliant Energy meters) अधिष्ठापित किये जाना अनिवार्य होंगे जो कि सक्रिय तथा प्रतिक्रियात्मक ऊर्जा (एक्टिव तथा रिएक्टिव एनर्जी) समय विभेदित मापन (15 मिनट अन्तराल वाले) हेतु सक्षम होंगे । इन विनियमों के अनुसार वैकल्पिक समर्थन की अर्हता रखने वाले कैप्टिव प्रयोक्ताओं से प्राप्त किये गये अनुरोध पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कार्यवाही, कैप्टिव प्रयोक्ता द्वारा, उनके परिसर में वांछित मापयंत्रों के अधिष्ठापन किये जाने के उपरान्त ही की जावेगी । ऐसे मापयंत्रों तथा संबंधित उपकरणों का परीक्षण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अथवा अनुज्ञप्तिधारी की प्रतिनिधि की उपस्थिति में एक मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक/कैप्टिव प्रयोक्ता के व्यय पर किया जावेगा । इस प्रकार परीक्षण किये गये मापयंत्र तथा संबंधित उपकरणों को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यथोचित सीलबन्द किया जावेगा ।

4.35 कैप्टिव विद्युत संयंत्र के अर्न्तमुख बिन्दु पर मापयंत्र वाचन, ऊर्जा लेखांकन तथा प्रभारों के निपटान का उत्तरदायित्व संबंद्ध वितरण अनुज्ञप्तिधारी का होगा जिसके प्रदाय क्षेत्र में यह कैप्टिव विद्युत संयंत्र अवस्थित है । इन विनियमों के अन्तर्गत भाग–स में निहित कैप्टिव प्रयोक्ताओं के प्रकरणों में, मापयंत्र वाचन, ऊर्जा लेखांकन तथा प्रभारों के निपटान हेतु अर्न्तनिहित इकाईयों तथा उनके वैयक्तिक उत्तरदायित्व संतुलन तथा व्यवस्थापन संहिता के उपबंधों के अनुरूप होंगे ।

4.36 मध्यप्रदेश पावर ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा अनुज्ञप्तिधारी की ओर से क्रय की गई विद्युत का बीजक (इन्वाइस) कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक द्वारा अर्न्तमुख बिन्दु पर मापयंत्र वाचन के आधार पर मापयंत्र वाचन के एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जावेगा । मध्यप्रदेश पावर ट्रेडिंग कम्पनी संबंधित अनुज्ञप्तिधारी की ओर से बीजक के विरूद्ध बिल प्राप्ति की दिनांक से 30 दिवस के भीतर भुगतान किये जाने बाबत् उत्तरदायी होगी । देयकों के भुगतान में विलम्ब होने की दशा में, मप्र पावर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड को बकाया राशि पर 1 प्रतिशत प्रतिमाह अथवा उसके किसी अंश की दर से दाण्डिक ब्याज का भुगतान करना होगा । यदि मप्र पावर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड देयक प्रस्तुति की तिथि से 15 दिवस के भीतर भुगतान करती है, तो ऐसी दशा में कैप्टिव विद्युत संयंत्र धारक द्वारा बिल की गई देयक राशि पर उसे 1 प्रतिशत की छूट अनुज्ञेय की जावेगी ।

4.37 यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी, इन विनियमों के निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार वैकल्पिक संविदा मांग की आपूर्ति की स्थिति में न हो तो ऐसी दशा में वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रयोक्ता को शास्ति (Penalty) के रूप में इन विनियमों में विनिर्दिष्टानुसार उक्त अवधि हेतु जबकि विद्युत प्रदाय उपलब्ध नहीं कराया जा सका हो, प्रतिबद्धता प्रभारों (Commitment Charges) की दो गुना दर पर भुगतान करेगा । तथापि, कोई भी पक्षकार किसी भी प्रकार की हानि/क्षति अथवा क्षतिपूर्ति हेतु दायित्वाधीन न होगा जो कि विद्युत प्रदाय की असफलता प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विशेष आकस्मिक परिस्थितियों जैसे कि युद्ध, सैनिक विद्रोह, नागरिक उपद्रव, दंगे, आतंकवादी हमले, अग्नि, बाढ़, हड़ताल (श्रम आयुक्त द्वारा प्रमाणित किये जाने के अध्यधीन) तालाबन्दी (श्रम

आयुक्त द्वारा प्रमाणित किये जाने के अध्यधीन), तूफान, अन्धड़, तड़ित, भूकम्प अथवा दैवीय प्रकोप के कारण हो । ऐसी घटनाओं में, अनिरन्तरता की यह अवधि समझौते की अवधि में जोड़ दी जावेगी ।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति :

4.38 इन विनियमों के उपबन्धों को दूर करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने पर आयोग किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को ऐसे कृत्य करने या दायित्व स्वीकार करने हेतु निर्देशित कर सकेगा जो आयोग के विचार में कठिनाईयां दूर करने में आवश्यक अथवा वांछनीय हैं ।

संशोधन के अधिकार

4.39 आयोग किसी भी समय इन विनियमों में परिवर्धन, परिवर्तन, सुधार या संशोधन कर सकेगा । यदि इन विनियमों में सम्मिलित किये गये कतिपय उपबंधों में स्पष्टीकरण की आवश्कता हो तो ऐसा स्पष्टीकरण चाहने वाला संबंधित व्यक्ति आयोग से संपर्क कर सकेगा ।

व्यावृत्ति :

4.40 इन विनियमों में कुछ भी आयोग की अर्न्तनिहित विद्युतयों को ऐसे आदेश जो न्यायहित में या आयोग की प्रक्रियाओं में दोष रोकने के लिये जारी करना आवश्यक है सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगा ।

4.41 इन विनियमों में कुछ भी आयोग को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किसी विषय या विषयों के वर्ग की विशिष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, लिखित कारणों सहित यदि आयोग आवश्यक व उचित समझे तो ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगा जो इन विनियमों के प्रावधानों से अन्यथा हो ।

4.42 इन विनियमों में विशिष्ट या अन्तर्गत कुछ भी आयोग को किसी अधिकार के उपयोग से नहीं रोकेगा जिसके लिये कोई विनियम नहीं बनाया गया हो तथा आयोग ऐसे विषयों, अधिकारों तथा कार्यों को उस प्रकार से, जैसे वह उचित समझे, निवर्तित कर सकेगा ।

टीप : इस ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारंपरिक ईंधन आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के विद्युत क्रय तथा अन्य विषयों से संबंधित) विनियम, (पुनरीक्षण प्रथम) 2009 के हिन्दी रूपांतरण की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जावेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा ।

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा, आयोग सचिव